अ0शा0पत्र परिपत्र संख्या : एडीजी-1/2017

चन्द्र प्रकाश
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध
उत्तरप्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जून-01,2017

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सूचना एवं प्रौधोगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना के निस्तारण में जनपद स्तर से लापरवाही बरती जा रही है। इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा/निर्देश भी निर्गत किये गये है। वर्तमान परिवेश में इन्टरनेट के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्वि हो रही है, परन्तु इसके दुरूपयोग के बारे में जनसामान्य में जागृति नहीं है, परिणामस्वरूप Online lottery frauds/online job frauds, Online harassment, Online cheating, Fake online appointments in reputed multi-national companies, Spam & Phishing frauds, ATM, Debit and Credit card frauds, Hacking cases, E-Mail spoofing for cheating and Cyber terrorism आदि के कारण साइबर अपराधों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्वि हो रही है। मुख्यालय स्तर पर इन अभियोगों की मासिक सूचना के परीक्षणोपरान्त पाया गया है कि सूचना एवं प्रौधोगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों के पंजीकरण में जहॉ एक ओर वृद्वि हो रही है वहीं इनके अनावरण की संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है। अधिकांश अभियोगों में अनावरण न होने की दशा में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित कर दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुख्यालय व्दारा बारम्बार दिशा-निर्देश दिये जाने के बावजूद जनपद प्रभारी तथा उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों व्दारा इन अभियोगों के निस्तारण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। विवेचना का निस्तारण समय से न होने के कारण महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक साक्ष्य नष्ट हो जाता है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

इस सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश दिये जा रहे है :-

1- मुख्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि विवेचक व्दारा सूचना एवं प्रौधोगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग का पंजीकरण होने के उपरान्त उससे सम्बन्धित डाटा का एकत्रीकरण अविलम्ब नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप एक निश्चित समयावधि के उपरान्त सम्बन्धित डाटा विनिष्ट हो जाते है।

2- सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षक स्तर तक का ही पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्वेषण के कार्य हेतु सक्षम अधिकारी होता है। अतः यह आवश्यक है कि जनपद में नियुक्त सभी निरीक्षकगण व्दारा साइबर अपराधों की विवेचना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाये। इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रशिक्षण निदेशालय , मुख्यालय तकनीकी सेवायें व्दारा प्रशिक्षण कोर्स भी चलाये जा रहे है । अतः आप सभी से यह अपेक्षा है कि अपने अधीन कार्यरत सभी ऐसे पुलिस निरीक्षकों का चिन्हांकन कर लें जिन्होने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। ऐसे निरीक्षकों की सूची तैयार करते हुये उन्हें क्रमशः प्रशिक्षण दिला दिया जाये ।

2/-

3- इस मुख्यालय के परिपत्र सं0-47/2015 दिनांकित 24-6-2015 के व्दारा यह निर्देशित किया गया था कि सामान्य प्रकृति के साइबर अपराधों की विवेचना सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक व्दारा ही किया जायेगा । केवल ऐसे अभियोग जनपदीय साइबर सेल को संदर्भित किये जायेगें जो जटिल प्रकृति के हों अथवा जिन थानों पर निरीक्षक नियुक्त न हों ।

4- क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत गठित साइबर सेल व्दारा इस अधिनियम के अन्तर्गत समान्य एवं जटिल प्रकृति के अभियोगों का अन्वेषण कार्य किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि इस विषय के मर्मज्ञ अधिकारी/कर्मचारियों को ही इस सेल में नियुक्त किया जाये।

5- पश्चिमी क्षेत्र के (मेरठ,सहारनपुर,बरेली,मुरादाबाद अलीगढ़ एवं आगरा) परिक्षेत्र के जनपदों हेतु साइबर इकाई थाना रकाबगंज आगरा में स्थापित है तथा पूर्वी क्षेत्र (इलाहाबाद ,मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, चित्रकूट,देवीपाटन,बस्ती,गोरखपुर,लखनऊ, कानपुर,फैजाबाद एवं झॉसी) परिक्षेत्र के जनपदों हेतु साइबर इकाई थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ में स्थापित है। सम्बन्धित जनपद इनसे तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते है।

6- जैसा कि पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि इन अपराधों की समीक्षा अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध प्रत्येक पक्ष में तथा जनपदीय प्रभारी प्रत्येक माह में एक बार अवश्य करेगें ।

मै आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त निर्देशों का भली-भॉति अध्ययन करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं सूचना एवं प्रौधोगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों का शत् प्रतिशत अनावरण कराये जाने का सफल प्रयास करेगें ।

सद्भाव,

भवदीय,

1/6/17

(चन्द्र प्रकाश)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक/जनपदीय प्रभारी उ0प्र0।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक,उ0प्र0 ।

2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक,उ0प्र0।